जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 145 वीं बैठक दिनांक 05.02.2010 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। एजेण्डा संख्या 2 व 3 वननि (बीपीसी) द्वारा तथा एजेण्डा संख्या 4 वननि (प्रोजेक्ट) द्वारा एवं अति. एजेण्डा संख्या 1 से 3 व.न.नि. (प्रोजेक्ट) द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका संकलित कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमति गायत्री ए. राठौड, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं आवाप्ति), जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती शुचि शर्मा, अति. आयुक्त (प्रशासन) जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री पी. अरविंद, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), जविप्रा जयपुर।
4. श्री सुभाष चन्द शर्मा, उप नगर नियोजक (एल.पी.), जविप्रा जयपुर।
5. श्री शेराराम, उप नगर नियोजक, जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री नरेश रैजदा, तहसीलदार–जोन 5, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री सोहन लाल वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन–12, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:–
एजेण्डा संख्या:–1
145/05.02.2010

विषय:–बीपीसी (ले आउट प्लान) 144वीं बैठक दिनांक 07.01.2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के सबंध में।।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

<u>एजेण्डा संख्याः–2</u>
145/05.02.2010 (जोन–5)

विषयः– हथरेाई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना महेश नगर–ए के भूखण्ड संख्या 15 का संशोधित पट्टा जारी किये जाने के सबंध में।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति (एलपी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। माननीय अपीलीय अधिकरण जविप्रा द्वारा दिये गये निर्णय अनुसार प्रार्थिनी को सुना जाना है इसलिये समिति ने निर्णय लिया कि उपायुक्त जोन द्वारा प्रार्थिनी को सुना जाकर रिपोर्ट सहित प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा संख्याः–3</u>
145/05.02.2010 (जोन–5)

विषयः–छत्रपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना देवी नगर के भूखण्ड संख्या 892 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 892 नाले से प्रभावित नहीं होने के सबंध में अभियांत्रिकी शाखा की स्पष्ट रिपोर्ट ली जावें तथा जोनल अभियंता की रिपोर्ट आने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

<u>एजेण्डा संख्या–4</u>
145/05.02.2010 (जोन–12)

विषयः– निजी खातेदारी की ग्रुप हाउसिंग योजना कनक वृन्दावन योजना ग्राम सिरसी तहसील जयपुर में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या ए व बी के पुर्नगठन के सबंध में।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति (एलपी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्रुप हाउसिंग योजना के भूखण्ड संख्या ए एंव बी को पृथक–पृथक ग्रुप हाउसिंग के स्थान पर प्लॉटेड डेवलपमेन्ट करते हुये निजी खातेदारी की आवासीय योजना विकसित की जा सकती है जिसके लिये विकासकर्ता को नियमानुसार योजना मानचित्र तैयार कर प्रस्तुत किया जा सकता है।

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अति. एजेण्डाओं पर भी विचार विमर्श किया गया।

<u>अति. एजेण्डा आइटम सं:–1</u>
145/05.02.2010 (जोन–2)

विषयः– संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जगदम्बा कॉलोनी स्कीम नं 6 के भूखण्ड संख्या 103 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर पट्टा दिये जाने सबंध में।

प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया तथा समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत उक्त प्रकरण को उपायुक्त (zone 2) के अनुपस्थित होने के कारण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा आइटम सं:–2
145/05.02.2010 (जोन–12)

विषयः– निजी खातेदारी योजना विनायक सिटी ग्राम निमेडा एवं बिन्दायका के अनुमोदन के सबंध में।

प्रकरण में बीपीसी की 94वीं बैठक दिनांक 27.03.06 के निर्णय के बिन्दु संख्या 2 *"आवेदक द्वारा प्रस्तावित योजना में वाणिज्यिक भू–पट्टी नही रखी गई है अतः जविप्रा के हिस्से की वाणिज्यिक भू–पट्टी की राशि विकासकर्ता से ले ली जावे जिससे मौके पर सडकों का अन्य सुविधाओं का विकास हो सके अथवा अभियांत्रिकी शाखा द्वारा सडकों व अन्य उपयोगों के विकास कार्य हेतु जो भी खर्चा होगा वह विकासकर्ता से ले लिया जावे।"* के क्रियान्विति के सबंध में उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि मौके पर विकासकर्ता द्वारा सेक्टर रोड का अधिकतर कार्य कर लिया गया है एवं अन्य सुविधाओं का कार्य प्रगति पर है। उक्त बिन्दु संख्या 2 में पुर्नविचार कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि अभियांत्रिकी शाखा से उक्त बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सड़कों व अन्य उपयोगों के विकासकार्यों की जविप्रा के स्पेसिफिकेशन के अनुसार लागत की गणना कर उसमें ~~में~~ विकासकर्ता द्वारा किये गये विकास कार्यों की लागत को घटाते हुये शेष राशि विकासकर्ता से ले लिया जावे। समिति द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि उक्त निर्णय अन्य प्रकरणों में लागू नहीं होगा।

प्रकरण में बीपीसी की 94वीं बैठक दिनांक 27.03.06 के निर्णय के बिन्दु संख्या 3 *" योजना में खसरा नं. 165 ग्राम बिन्दायका की 1377.77 वर्ग गज सरकारी भूमि है जो किसी स्वतंत्र उपयोग में नहीं आ सकती है तथा यह योजना के मध्य में स्थित है अतः नियमानुसार भूमि खातेदार को बेचान की जावे तत्पश्चात् इसे सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे।"* के क्रियान्विति के सबंध में विकासकर्ता द्वारा निवेदन किया गया है उसकी योजना 60:40 के अनुपात में प्रस्तुत की गई है एवं प्रश्नगत भूमि को आवेदक को विक्रय के पश्चात् सुविधा क्षेत्र के उपयोग हेतु बाध्य करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। बैठक के दौरान विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधित योजना मानचित्र में दर्शाई गई 1377.77 वर्ग गज सरकारी भूमि खातेदार को बेचान की जाने के निर्णय पर पुनः विचार कर निर्णय लिया गया उक्त भूमि को योजना का भाग नहीं मानते हुये नीलामी द्वारा बेचान किया जावे ।

निजी खातेदार की योजना का आंतरिक विकास के सबंध में उक्त बिन्दु संख्या 2 पर लिये गये निर्णय की अनुपालना होने तक योजना के 12.5 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित रखे जाकर योजना अनुमोदन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया ।

अति. एजेण्डा आइटम सं:–3
145/05.02.2010 (जोन–6)

विषयः— निजी खातेदारी योजना अमन एनक्लेव के अनुमोदन के सबंध में।

समिति को अवगत कराया गया कि निजी खातेदारी की योजना अमन एन्कलेव बीपीसी की 137वीं बैठक दिनांक 16.09.09 में अनुमोदित की जा चुकी हैं, किन्तु अनुमोदित मानचित्र अभी तक जारी नहीं किया गया है। वर्तमान में अफोरडेबल हाउसिंग पालिसी 2009 के प्रावधानों के अनुरूप ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी हाउसिग के प्रावधानों को इस तरह के प्रकरणों में रखा जाना है अथवा नही, के सबंध में निर्णय लिया गया कि इस तरह के सभी प्रकरणों में राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत ही अनुमोदन की कार्यवाही सभी जोनों द्वारा सुनिश्चित किया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले—आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :— जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/प्रोजेक्ट/2010/डी—48
दिनांक :— 15/2/10

प्रतिलिपि :—

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी),जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले—आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।